

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 25 (ई/01)/लेखा /आकाक्षि/2018/ 459

दिनांक : 12.7.19

समस्त प्राचार्य/ मैनेजिंग कमेटी,
पूर्व अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान।

स्मरण पत्र - तृतीय

विषय : महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना अविलम्ब
भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ :- आयुक्तालय का पूर्व पत्रांक 3096 दिनांक 29.08.2018, 114 दिनांक 12.11.2018,
156 दिनांक 16.04.2019 तथा 421 दिनांक 04.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) के स्तर पर आयोजित ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26.06.2019 में की गई समीक्षा की पालना में समस्त अनुदानित महाविद्यालयों को महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई ऑडिट के बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना मय निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति आयुक्तालय में भिजवाने हेतु सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से उनके बार निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन आदिनांक तक संस्थाओं से आक्षेपों की पालना रिपोर्ट मय निरीक्षण प्रतिवेदन आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पालना रिपोर्ट मय निरीक्षण प्रतिवेदन (दो प्रतियों में) आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।


— sd —

द्वितीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ 25 (ई/01)/लेखा /आकाक्षि/2018/ 460-461 दिनांक : 12.7.19

प्रतिलिपि :

1. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
2. सहायक लेखाधिकारी (अंकेक्षण) कॉलेज शिक्षा, जयपुर



द्वितीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर